

## न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....३११/२०२२


16.11.2022

आवेदक प्रदीप कुमार जाना पिता स्व० सत्येन्द्र नाथ जाना, साकिन-झुमरी तिलैया, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
तिलैया	244	731	7352	01 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक .....२५/११/२०२२ को प्रस्तुत करें।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा

24.11.2022


अभिलेख उपस्थापित।

09.12.2022

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-731, प्लॉट सं०-7352, रकवा-1.01 डी० भूमि प्रदीप कुमार जाना पिता स्व० सत्येन्द्र नाथ जाना के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-62 भाग सं०-13 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-78/1982-83 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-5977 दिनांक-04.07.1981 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-03 दिनांक-02.11.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-731, प्लॉट सं०-7352, रकवा-01 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-तिलैया, थाना नं०-244, खाता सं०-731, प्लॉट सं०-7352, रकवा-01 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गम लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा